मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ 226006

पत्रांक:टीएस–सीसीटीएनएस–99/2018–2 दिनांक:फरवरी 20 , 2019

सेवा में,

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय:– सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु अधिकतम दर ₹35000 में उपलब्ध हो रहे प्रिन्टर, पेपर प्रति रिम को अधिकतम ₹240 पर, डेस्कटाप/ कार्टेज /टोनर को विभागीय व शासकीय नियमों के अधीन आवंटित बजट के सापेक्ष निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप या उच्चीकृत मानक के अनुसार जनपद में उपलब्ध अवशेष बजट का निर्दिष्ट प्रयोजन के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अधीन शत–प्रतिशत आवंटित बजट का नियमानुसार जनपद स्तर पर उपभोग किये जाने विषयक।

सन्दर्भ:– इस मुख्यालय का समांक पत्र दिनांक 27.11.2018, 29.11.2018, 05.12.2018, 26.12.2018, 08.01.2019, 22.1.2019, 25.1.2019, 08.02.2019 अवलोकनीय।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0सरकार में दिनांक 15.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.11.2018 को मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु दिनांक 22.11.2018 को उ0प्र0शासन की बैठक में लिये गये निर्णय के कम में प्रथम चरण में जनपदीय थानों हेतु सीसीटीएनएस के कियान्वयन एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु निर्गत निर्देश के कम में Desktop, UPS, Paper, Printer, cartridge (Toner) सीसीटीएनएस में उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को धनराशि आवंटित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय के सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु प्रस्तावित Printer हार्डवेयर अधिकतम दर ₹35000 पर, प्रति रिम Paper की अधिकतम दर ₹240, Desktop, UPS, cartridge (Toner) को GeM के माध्यम से नियमानुसार कय प्रकिया पूर्ण किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

3. जनपद हरदोई के पत्रांक–सीसीटीएनएस/2019 दिनांक 16.02.2019, प्रयागराज के पत्रांक प–494/सीसीटीएनएस–हार्डवेयर/2014 दिनांक 07.02.2019 17.02.2019, अम्बेडकरनगर के पत्रांक–सीसीटीएनएस/2018/19 दिनांक 12.02.2019 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित निर्देश के अन्तर्गत डेस्कटाप/ प्रिन्टर/ टोनर/ यूपीएस इत्यादि जेम से कय किये जाने के उपरान्त जनपद के निर्धारित थाने के स्थान पर जनपद

के नये प्रस्तावित थाने जहाँ वर्तमान में विशेष आवश्यकता है, जनपद की अपेक्षा के दृष्टिगत परिवर्तित/अधिष्ठापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अति अल्प अवधि ही अवशेष रह गयी है। सीसीटीएनएस में आवंटित बजट के सापेक्ष निर्धारित संख्या/मानक में क्रय के उपरान्त जनपद के पास उपलब्ध अवशेष बजट का उपभोग किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार प्रिन्टर/ पेपर/ डेस्कटाप/ कार्टेज /टोनर सीसीटीएनएस के अन्तर्गत क्रय प्रकिया को पूर्ण कर जनपद स्तर पर उपभोग कर लिया जाय।

20/2

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।**
2. **पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
3. **वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।**
4. पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ
5. समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
8. ऑकिक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, को जनपद हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष हुए **शत–प्रतिशत उपभोग का प्रमाण–पत्र की स्थिति की आख्या तैयार कराये जाने हेतु।**
9. श्री आशीष जायसवाल, प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रभारी हार्डवेयर, उ0प्र0पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को परिवर्तित स्थान को सूची में अद्यावधिक करने के साथ ही, Desktop, UPS, Paper, Printer, cartridge (Toner) के **पूर्ण क्रय की स्थिति हेतु जनपदों से समन्वय किये जाने/आख्या साप्ताहिक** अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाय।
10. प्रभारी सीसीटीएनएस, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को ऑकिक/प्रभारी हार्डवेयर की कार्यवाही में समन्वय हेतु।
11. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यू–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
12. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।